फर्द अहकाम नियम 26

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

**मोहन लाल** *बनाम* **अजय कुमार**

अन्तर्गत धाराः– 251(क) आर.टी.ए.

नम्बरः– 192/2025

चकः– 22 जी0जी0

| ख<br>म | हुक्म या कार्यवाही अनिशिल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख जारी हुआ |
|---|---|---|
| 2025 | यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से श्री विनोद भाटी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जरीये रजिस्ट्रर्ड ए0डि0 तलब होकर पत्रावली दिनांक 19.12.2025 को पेश हो। | |
| 01.12.25 | प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य प्रकरण में राजीनामा हो चुका है इसलिए प्रार्थीगण प्रकरण को वापस लेकर राजीनामा के आधार पुनः नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं अतः प्रार्थी को नया प्रा.पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ इस प्रकरण को दाखिल दफ्तर किया जावे। प्रार्थी के निवेदन एवं प्रार्थी को अप्रार्थीगण के साथ राजीनामा होने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 व 2 CPC स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कर इस प्रकरण को खारिज किया जाता है। पत्रावली अपना नम्बर से काम होकर दाखिल दफ्तर करें। | |

Scanned with OKEN Scanner